55/2021

19.4.25 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उप.
अब प्रतिवादीगण सं. 23 से 29 की तामील हेतु
समन वादी वकील द्वारा पेश किये. जो पत्रा शामिल
पत्रावली 7.5.25 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

7.5.25 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते तामील प्रतिवादी पालना
दिनांक 25-6-25 को पेश हो।

25.6.25 पत्रावली पेश हुई
पक्षकारान वकील उप.
अब प्रतिवादी सं. 23 से 29 की तामील पालना हेतु
पत्रावली वास्ते 30.7.25 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

30.7.25 पत्रावली पेश हुई
वादी वकील अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित
रही है।

आज न्यायालय समय में पुकार-2 तीन बार आवाजें
दिलवाई जाने एवं अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः
आवाजें दिलवाने जाने के उपरां[illegible]
वकील में से किसी के भी उपस्थित [illegible]
होता है कि वे वाद में पैरवी [illegible]

लिहाजा वादीगण एवं उनके वकील की अनुपस्थिति में
वाद इसी स्तर पर अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज
किया जाता है।
पत्रावली मुकम्मल करवा कर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:40 IST
Reason: SelfAttested